डालू बनाम हनुमानबगे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं - 135/2015
13-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन से सहमति वकील वादी ने व्यक्त करते हुए आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 20-10-2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत - कल्याणपुरा में पेश हो। (हस्ताक्षर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
निमन्त्रण प्राप्त किया [illegible] हूँ 13/9/2021 ([illegible])	
20-10-21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत - कल्याणपुरा में वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय / आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल [illegible] तकमील हो। (हस्ताक्षर) 20/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः– कल्याणपुरा, पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
135 / 2015	2015 / 310	25.06.2015	20.10.2021

उनवान

1. कालू पुत्र हणमान उम्र–58 साल जाति जाट निवासी तन् कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. भानाराम उम्र–55 साल पुत्र जवाहरराम
2. बद्रीप्रसाद उम्र–47 साल पुत्र जवाहरराम
3. पोखर पुत्र चौथू उम्र–55 साल
4. गोठी बेवा चौथू उम्र–80 साल
5. भूरा पुत्र बालू उम्र–80 साल
6. नानूराम पुत्र मुरली उम्र 50 साल
7. जगदीश पुत्र मुरली उम्र 60 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

8. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
9. मैनेजर सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री सुदेश सामोता, वादी अभिभाषक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:28 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1338, 1345, 1350 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1322, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1349 कुल किता 9 कुल रकबा 4.48 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार 1/8 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने भूमियों का बाहमी बंटवारा आपसी काश्त की सुविधा अनुसार कर रखा है। जिसके अनुसार मौके पर वादी अपने हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि पर खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.37 हैक्टर, 1339 रकबा 0.39 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.84 हैक्टर में से रकबा 0.09 हैक्टर पश्चिमी तरफ पर पूर्णतः काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पोखर, गोठी भूमि खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.46 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1350 रकबा 0.84 हैक्टर में से रकबा 0.75 हैक्टर पूर्वी तरफ पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भानाराम, बद्रीप्रसाद भूमि खसरा नम्बर 1347 रकबा 1.42 हैक्टर, 1342 रकबा 0.29 हैक्टर, 1341 रकबा 0.56 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 5 भूरा भूमि खसरा नम्बर 1388 रकबा 1.14 हैक्टर, 1343 रकबा 0.45 हैक्टर, 1322 रकबा 0.17 हैक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 6 व 7 जगदीश, नानूराम भूमि खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.32 हैक्टर, 1344 रकबा 0.42 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी अनुसार अपनी भूमियों को विकसित व उपजाऊ बना रखा है तथा सीवं डोल कायम कर रखी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:28 IST
Reason: SelfAttested

22/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। उक्तानुसार भूमियों का विधिक तकास्मा करवाया जाकर भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम अलग–अलग दर्ज की जाकर अलग से लगान कायम किये जाने हेतु बाबत उक्त वादपत्र तकास्मा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 9 के हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.02.2018 को जारी कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 735 / भू.अ. / 2020 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादी अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिनका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने उक्त भूमियों का विधिक विभाजन चाहा गया है। जिस बाबत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन से [illegible] वादी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:28 IST
Reason: Self Attested

अतः ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 735/भू.अ./2020 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore 20/10/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कल्याणपुरा

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के कैम्पः–कल्याणपुरा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 20/10/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कल्याणपुरा